साक्ष्य नहीं कराना चाहते हैं। अतः बहस हेतु पत्रावली दि० 19-3-15 को पेश हो।

19-3-15 वकील वादी उपस्थित है। वकील वादी बहस को समय चाहते हैं। अतः बहस हेतु पत्रावली दि० 10-4-2015 को पेश हो।

10-4-15 वकील वादी उपस्थित है। बहस को समय चाहते हैं। अतः वास्ते बहस पत्रावली दि० 29-4-2015 को पेश हो।

29-4-15 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~वकील प्रतिवादी~~ उपस्थित है। श्रीमान P.O. साहब दौरे पर है।/~~अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है~~। अतः पत्रावली दि० 11-5-15 को पेश हो।

रीडर

11-5-15 पत्रावली पेश हुई/अभिभाषक संघ ने कार्य का बहिष्कार किया है। P.O. साहब ~~दौरे पर/अवकाश पर~~/अन्य कार्यों मे व्यस्त हैं। पत्रावली दि० 29-5-15 को पेश हो।

रीडर

1383० / 1405 / 10/5/40

29-5-15 पत्रावली आज लोक अदालत में कैम्प कालकलों पर पेश हुई। वादीगण धाबूड्या, बसंता, चौथ्या, सुरज्ञान, मिश्री उपस्थित हैं। प्रतिवादी कजोड्या, बंशी, गंगासहाय उपस्थित है। उपस्थित पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया कि भूमि साबिक ख० नं० 82 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा मांगीलाल पुत्र देव्या चमार की खातेदारी में थी जिसके नये नम्बर 233 रकबा 24 एयर बने हैं तथा भू-प्रबन्ध में यह कजोड्या, बंशी, गंगासहाय, हजारी, गुलाबो के नाम लगादी है। गुलाबो मर गई है। वास्तव में भूमि वादीगण के नाम लगा दी

नि० बसंता
नि० कजोड्या
नि० बंशी
नि० चौथ्या
नि० गंगासहाय
नि० सुरज्ञान
नि० धाबूड्या
नि० मिश्री

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जावे। प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी सं० 2020-27 के अनुसार ख०नं० 62 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा ग्राम बिदरखा मांगीलाल पुत्र देव्या चमार की खातेदारी में दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार इसका नवीन नम्बर 233 रकबा 24 एयर बनाया गया है। नकल जमाबंदी सं० 2069-72 के अनुसार यह प्रतिवादी कजोड्या, बंशी, गंगासहाय हजारी पिता नारायण, गुलबो बेवा नारायण के नाम दर्ज है। साबिक रेकार्ड के अनुसार यह भूमि वादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु भू-प्रबन्ध में यह प्रतिवादीगण के नाम लगा दी गई है। प्रस्तुत राजीनामे में भी प्रतिवादीगण ने भूमि उनके नाम लगाने का उल्लेख किया है एवं यह भूमि वादीगण के नाम लगाने में उन्हें कोई आपत्ती नही होना बताया है। अतः प्रस्तुत अभिलेख एवं राजीनामा के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है तथा भूमि ख०नं० 233 रकबा 24 एयर ग्राम बिदरखा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि प्रतिवादीगण के नाम से कम की जाकर वादीगण के नाम दर्ज की जावे एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। भूमि पर रहन का इन्द्राज यथावत दर्ज रहेगा। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Gangapd (गंगाप्रसाद गुप्ता) सदस्य लोक अदालत | (रवि कुमार शर्मा) सदस्य लोक अदालत | (मुनि देव यादव) उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारी[illegible] अहकाम जो [illegible] हुक्म की ताम[illegible] में जारी हु[illegible]
15-3-2016	प्रार्थीगण ढाबुड़्या वगैरा की ओर से उनके वकील ने यह प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 152 C.P.C. प्रस्तुत कर इस न्यायालय द्वारा दि० 29-5-2015 को जारी डिक्री में वादी सं० 7 के पिता का नाम मांगीलाल के स्थान पर रामजीलाल दर्ज करने का निवेदन किया है। प्रस्तुत प्रा०पत्र का अवलोकन किया। मूल वाद का अवलोकन किया। मूल वाद में वादी घनश्याम के पिता का नाम रामजीलाल अंकित है। लोक अदालत में पक्षकारों ने दि० 29-5-2015 को जो राजीनामा पेश किया है उसमें घनश्याम के पिता का नाम स्व० रामजीलाल दर्ज किया गया है परन्तु इस न्यायालय द्वारा दि० 29-5-2015 को जो डिक्री जारी की गई है उसमें वादी घनश्याम के पिता का नाम भूलवश मांगीलाल दर्ज हो गया है। यह एक लिपिकीय त्रुटि है जिसे दुरुस्त किए जाने से मूल डिक्री के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं आता है। अतः प्रस्तुत प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा दि० 29-5-2015 को जारी डिक्री में वादी सं० 7 घनश्याम के पिता का नाम मांगीलाल के स्थान पर स्व० रामजीलाल दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार मूल डिक्री में संशोधन किया गया। मूल डिक्री की प्रमाणित प्रति पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर को भिजवाई जावे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। (मुनिदेव यादव) उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

5

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) बाढ कलॉं

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. हाबूडया पुत्र मांगीलाल बैरवा, निवासी कॉकर (विदरखा) तह0 गंगापुर सिटी
2. बंसता पुत्र मांगीलाल बैरवा, निवासी कॉकर (विदरखा) तह0 गंगापुर सिटी
3. चौथ्या पुत्र मांगीलाल बैरवा, निवासी कॉकर (विदरखा) तह0 गंगापुर सिटी
4. सुरज्ञान पुत्र मांगीलाल बैरवा, निवासी कॉकर (विदरखा) तह0 गंगापुर सिटी
5. छोटेलाल पुत्र मांगीलाल बैरवा, निवासी कॉकर (विदरखा) तह0 गंगापुर सिटी
6. मिश्री बेबा रामजीलाल बैरवा, निवासी कॉकर (विदरखा) तह0 गंगापुर सिटी
7. घनश्याम पुत्र मांगीलाल बैरवा, निवासी कॉकर (विदरखा) तह0 गंगापुर सिटी ---वादीगण

स्व० रामजीलाल (इन्द्राज दुरुस्ती आदेश दि. 15-3-16 से)

बनाम

1. कजोडया पुत्र नारायण बैरवा, निवासी कॉकर (विदरखा) तह0 गंगापुर सिटी
2. वंशी पुत्र नारायण बैरवा, निवासी कॉकर (विदरखा) तह0 गंगापुर सिटी
3. गंगासहाय पुत्र नारायण बैरवा, निवासी कॉकर (विदरखा) तह0 गंगापुर सिटी
4. हजारी पुत्र नारायण बैरवा, निवासी कॉकर (विदरखा) तह0 गंगापुर सिटी
5. शाखा प्रबधक स.मा. सेन्ट्रल कॉआपरेटिव बैक शाखा गंगापुर सिटी
6. लैंड हॉल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
7. सब रजिट्रार गंगापुर सिटी

---प्रतिवादीगण

दावा घोषण खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 23/2014

वादीगण की ओर से वादी हाबूडया, बंसता व अन्य की व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी कजोडया, बंशी वगैरा की उपस्थिति में इस वाद मे आजं तारीख 29.05.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और ड्रिी दी जाती है कि

पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं राजीनामा के अनुसार वादीगण का वाद ड्रिी किया जाता है एवं ख0न0 233 रकबा 28 एयर ग्राम विदरखा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि प्रतिवादीगण के नाम से कम की जाकर वादीगण की खातेदारी मे दर्ज की जावे एवं इसी अनुसार राजरव अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। भूमि पर रहन का इन्द्राज यथावत दर्ज रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 29.05.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.) सत्यमेव जयते

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

नोट:- आदेश दि० 15-3-2016 से वादी सं० 7 घनश्याम के पिता का नाम मांगीलाल के स्थान पर स्व० रामजीलाल दर्ज किया गया।

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी